तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तालीम में जारी हुए
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित उक्त प्रकरण में पुनः बहस सुनी गयी पत्रावली पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० हो। पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– 33/2024

बहादुर सिंह पुत्र पन्नी जाति जाटव निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

...................प्रार्थी

बनाम

लैण्ड हौल्डर पदेन तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।

.................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 128 से 131 तक एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री गिरधर छावडी एडवोकेट प्राथी

निर्णय **दिनांकः–29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 128 से 131 तक के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अन्य मौजूद काश्तकारों के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 997/0.07है0 अज किस्म गैर मुमकिन चाह यानि गैर मुमकिन कुंआ बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 997/0.07है0 अज किस्म गैर मुमकिन चाह को सैटिलमेन्ट से पूर्व के आराजी खसरा नम्बर 796 रकवा 1 बीघा 4 विस्वा से बनाया गया है जो प्रार्थी एवं अन्य सह काश्तकारों की आराजीयात की सिंचाई करने के लिए काम आता है। आराजी खसरा नम्बर 1069 रकवा 0.08है0 अज किस्म गैर मुमकिन रास्ता बाके ग्राम अंधियारी को सैटिलमेन्ट से पूर्व के साबिक आराजी खसरा नम्बर 833 रकवा 10 बिस्वा से बनाया गया है जो सैटिलमेन्ट पूर्व भी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज था तथा साबिक राजस्व मानचित्र में दर्शाया गया था और उक्त खसरा नम्बर 1069 हाल में प्रार्थी व अन्य सहकाश्तकारों की अन्य आराजीयात व खसरा नम्बर 997 में आने जाने के लिए उपयोग उपभोग में आती जाती रही है परंतु दौराने सैटलमेन्ट, सैटलमैन्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सैटिलमेन्ट विभाग ने गांव अंधियारी के हाल आराजी खसरा नम्बर 1069 रकवा 0.08है0 को वर्तमान राजस्व मानचित्र में साबिक आराजी खसरा नम्बर 833 रकवा 10 बिस्वा के साबिक राजस्व मानचित्र के मुताबिक दर्शित नही किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1069 आज भी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है मौके पर भी रास्त अन्य प्रार्थी व अन्य किसानों की आराजीयात के आवागमन हेतु बना हुआ है जिस पर अन्य किसान अपने अपने खेतों पर आते जाते है पत्थरों की छन व मौरर्म आदि डालकर रास्ता बनाया हुआ है जिससे भी स्पष्ट है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 833 गैरमुमकिन रास्ता था और आज भी रास्ते के काम आ रहा है परन्तु सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक नक्शा से हाल नक्शा तैयार करते समय मौके के विपरीत नक्शा बनाया है जो पुर्णतः गलत है एवं खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है इस प्रकार से प्रार्थी साबिक नक्शा मुताबिक हाल नक्शा को तरमीम करा पाने के अधिकारी व पात्र है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 833 में स्थित रास्ते की जायदाद को उसके साबिक नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मुताबिक यथानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 1069 गैर मुमकिन रास्ता के हाल नक्शा में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1069 रकवा 0.08है0 गै.मु.रास्ता दर्ज हौ जिसका पुरान नम्बर 833 रकवा 0.10विस्वा गै.मु.रास्ता दर्ज है। मुताबिक पुराने नक्शे के ख.नं. 833 नक्शे में रास्ता के दर्ज है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1069 रकवा 0.08है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता बाके ग्राम अंधियारी को सैटिलमेन्ट से पूर्व के साबिक आराजी खसरा नम्बर 833 रकवा 10 बिस्वा से बनाया गया है जो सैटिलमेन्ट पूर्व भी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज था तथा साबिक राजस्व मानचित्र में दर्शाया गया था। परन्तु सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक नक्शा से हाल नक्शा तैयार करते समय मौके के विपरीत नक्शा बनाया है जो पुर्णतः गलत है एवं खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है मुताबिक साबिक नक्शे के खसरा नम्बर 1069 गै.मु.रास्ता को हाल नक्शा में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव एवं तहसीलदार जबाव के साथ संलग्न पटवार हल्का अंधियारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नजरी नक्शा साबिक खसरा नम्बर 833 का अवलोकन किया गया। मुताबिक साबिक नक्शा हाल खसरा नम्बर 1069 किस्म गै.मु.रास्ता की तरमीम हाल राजस्व नक्शे में किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1069 रकवा 0.08है किस्म गै.मु.रास्ता बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन की तरमीम राजस्व नक्शे में मुताबिक साबिक राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 833 रकवा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता के अनुसार की जाकर राजस्व नक्शे मे शुद्धि की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)